आदेश फलक

अंचल अधिकारी का न्यायालय कुण्डहित

राजस्व विविध वाद सं0– 07/2023–24/रा0, दिनांक– 22.07.2023

आदेश की क्रम आदेश और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षरी	आदेश कर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
	प्रथम पक्ष संजय लोहार ग्राम– गड़जोड़ी पंचायत– गड़जोड़ी अंचल– कुण्डहित। बनाम् द्वितीय पक्ष रथिन लोहार, पिता– भैरब लोहार ग्राम– गड़जोड़ी अंचल– कुण्डहित।	
22.07.2023	अभिलेख उपस्थापित, यह मामला दिनांक– 22.07.2023 को विविध राजस्व वाद सं0– 04/2022–23 प्रथम पक्ष उमा लोहार, पति श्याम पद लोहार गड़जोड़ी द्वितीय पक्ष ठण्डा वाला लोहार उर्फ ठण्डा लोहार, पति– भैरब लोहार एवं अन्य 8 ग्राम– गड़जोड़ी से संबंधित है। उक्त अभिलेख में मौजा– गड़जोड़ी, ज0नं0– 102, दाग नं0– 1267, 2369, 2374 एवं अंश भूमि पर माननीय जिला प्रधान न्यायधीस जामताड़ा के सिविल अपील नं0– 08/2018 से प्राप्त डिग्री जमीन में खेतीबाड़ी किये जाने से संबंधित है। उक्त जमीन पर कोर्ट द्वारा दिनांक– 12.12.2021 को दखल–दिहानी एवं बाँसगड़ी कर सीमांकन किया जा चुका है, जिसके तहत् उमा लोहार, पति श्याम पद लोहार गड़जोडी के भूमि पर विवाद रहने के कारण एवं लिखित आवेदन दिया गया था। तदनुसार उभय पक्षों को ज्ञापांक– 285/रा0, दिनांक– 14.06.2022 को नोटिश निर्गत करते हुए अपना दस्तावेज दिनांक– 22.06.2022 को प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। उक्त के आलोक में उभय पक्षों द्वारा दिनांक– 22.06.2022 को उपस्थित हो कर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किया था। प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज– 1. मुख्य जिला न्यायाधीस जामताड़ा का आदेश CIVIL APPEAL NO. 08/2018 की छायाप्रति। 2. Adoption deed की छायाप्रति। 3. Rev Miss Case No. 296/83–84 का छायाप्रति। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज – 1. सिविल जज सिनियर डीविजन नं0 01 के न्यायालय में Original Suit No. 27/2010 की छायाप्रति। 2. सिविल जज सिनियर डीविजन नं0 01 के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अपील वाद की छायाप्रति। 3. दाखिल–खारिज नामाणतरण वाद सं0 77/06–07 की छायाप्रति। माननीय उच्च न्यायालय में S. A. No 539/2018 दाखिल वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय पक्ष द्वारा की गई अपील को स्वीकार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीस जामताड़ा के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध विवरणी 'क' एवं 'ख' को शिथिल (यथावत) रखा गया है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का अपील एवं आदेश I. A. No. 7130 of 2019 संलग्न है। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक कोई नया आदेश पारित नहीं किया गया है, तो जिला एवं सत्र न्यायधीस जामताड़ा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 'A' एवं 'B' शिथिल व यथावत ही समझा जायेगा। ज्ञातव्य हो कि पूर्व के विविध राजस्व वाद सं0– 04/2022–23, दिनांक– 22.06.2022 को आधार मानते हुए प्रथम पक्ष संजय लोहार एवं द्वितीय पक्ष रथिन लोहार एवं अन्य के सुनवाई में पूर्व के फैसले को यथावत समझा जाय एवं अभिलेख को संचिकास्त करें। 22-7-23 अंचल अधिकारी, कुण्डहित। प्रतिलिपि	

Digitally signed by NITYA NAND PRASAD
Date: 2023.09.22 12:57:20 +05:30
Location: 192.168.1.47

Scanned by CamScanner